RISING RAJASTHAN

राजस्थान सरकार

न्यायालय एकल माध्यस्थ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना
जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

Azadi ka Amrit Mahotsav

आर्बिट्रेशन प्रार्थना–पत्र सं. 05 / 2024

प्रार्थीगण–

1. श्री गिरधारीराम पुत्र लच्छाराम जरिये विधिक वारिसान
   - 1.1 श्री पुरखाराम प्रजापत पुत्र स्व गिरधारी राम
   - 1.2 श्री डायालाल पुत्र गिरधारीराम
   - 1.3 श्री गोविन्द पुत्र गिरधारीराम
   - 1.4 श्रीमती तुलसी देवी पत्नी गिरधारीराम

जातियान प्रजापत, निवासीयान ग्राम भाटा, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. श्रीमान सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी।
2. श्रीमान परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 188 उम्मेद हैरिटेज, रातानाडा, जिला जोधपुर।

माध्यस्थम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरूद्ध भारतमाला परियोजना (लौट–4 / पैकेज–7) के अनतर्गत इकॉनोमिक कॉरिडोर अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754–K के किमी. 482.243 से किसमी. 490.243 (सिणधरी) तक सड़क निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति के अवार्ड आदेश क्रमांक 682 दिनांक 29.03.2019 जो सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री चेलाराम कुमावत व दिनेश कुमावत, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री विनोद शर्मा व भुपेन्द्र गहलोत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 11.03.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अप्रार्थी संख्या 1 भूमि अवाप्ति सक्षम अधिकारी, सिणधरी के द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 29.03.2019 के विरूद्ध दिनांक 05.01.2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

जिला कलक्टर बालोतरा

2. प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतमाला परियोजना (लौट–4/पैकेज–7) के अर्न्तगत इकॉनोमिक कॉरिडोर अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754–K के किमी. 482.243 से किमी. 490.243 (सिणधरी) तक के निर्माण (चौड़करण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) में तहसील सिणधरी जिला बालोतरा की तहसील सिणधरी के गांवों (भाटा, धुड़िया मोतीसिंह) से संबंधित विनिर्दिष्ट भूखण्ड उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त करने हेतु अधिसूचना दिनांक 05.06.2018 को जारी कर उपखण्ड अधिकारी सिणधरी को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। प्रार्थीगण की निजी भूमि खसरा संख्या 729/3 में से (अवाप्तसुदा भूमि 0.4937) बीघा मौजा भाटा, तहसील सिणधरी में अवस्थित है। भूमि अवाप्ति अधिकारी, सिणधरी द्वारा प्रार्थी को उक्त खसरे की भूमि मौजा भाटा के आबादी क्षेत्र के 0–02 किमी तक के परिधि में स्थित होने का अवार्ड जारी न करके, राजस्व ग्राम भाटा के आबादी क्षेत्र के 0–02 किमी. के परिधि के बाहर मानकर आलोच्य अवार्ड दिनांक 29.03.2019 को पारित कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण द्वारा उक्त आलोच्य अवार्ड राजस्व ग्राम भाटा के आबादी क्षेत्र के 0–02 किमी के परिधि में मानते हुए उक्त अवाप्तसुदा भूमि का पुनः संशोधित अवार्ड पारित करते हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

3. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया एवं प्रश्नगत अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब में प्रकट किया कि अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754–K के किमी. 482.243 से किमी. 490.243 (सिणधरी) तक के निर्माण करने के लिए प्रार्थीगण की भूमि मौजा भाटा, तहसील सिणधरी में अवस्थित है। प्रार्थीगण के भूमि का खसरा संख्या 729/3 में से (अवाप्तसुदा भूमि 0.4937) आवाप्त कर कुल मुआवजा 5,26,434/–निर्धारित किया गया। प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 05.06.2018 को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया। अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754–K के किमी. 482.243 से किमी. 490.243 (सिणधरी) तक के निर्माण हेतु खसरे वार भूमि अवाप्ति का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसकी जांच राजस्व रिकार्ड से भूमिधारी तहसीलदार सिणधरी द्वारा कर अवाप्ति प्रस्ताव को भारत के राजपत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए का.आ. 3705 दिनांक 27.07.2018 को जारी हुआ। साथ ही आमजन को सूचना एवं जानकारी के लिए इस अधिसूचना को दो स्थानीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 11.08.2018 एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 10.08.2018 को प्रकाशित करवाकर

जिला कलक्टर
बालोतरा

अवाप्त भूमि के लिए समाचार पत्र में अधिसूचना प्रकाशन से 21 दिवस के भीतर आक्षेप या आपतियों आमंत्रित की गयी। नियत समय में अपीलार्थी द्वारा ऐसी कोई आपति पेश नहीं की गयी। भारत के राजपत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी का.आ. 6169 दिनांक 11.12.2018 को जारी हुआ। धारा 3डी की अधिसूचना को आमजन में प्रचार एवं प्रसार के लिए दो स्थानीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 06.01.2019 को प्रकाशित करवाया गया। इस अधिसूचना के प्रकाशन के बावजूद भी प्रार्थीगण द्वारा किसी तरह की भूमि किस्म/अन्य को लेकर कार्यालय में कोई आपति दर्ज नहीं करवाई गयी। धारा 3ए के प्रकाशन की दिनांक 27.07.2018 को प्रचलित अवाप्तसुदा भूमि की डीएलसी दर उप पंजीयक सिणधरी से प्राप्त कर, राजस्व रिकार्ड में दर्ज विवरण से तहसीलदार सिणधरी से जांच कर मुआवजा आवार्ड 29.03.2019 को पारित किया गया। 3जी अवार्ड राजस्व रेकर्ड में अंकित इन्द्राज को आधार मानकर ही किया जाता है। कार्यालय में उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन में प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा विधि सम्मत प्रकिया का पालन करते हुए 3जी अवार्ड राजस्व रेकर्ड में अंकित इन्द्राज को मददेनजर रखते हुए जारी किया गया है, जो पारित किया जाना प्रतीत होता है। प्रार्थीगण द्वारा निर्धारित अवधि में आमंत्रित आपतियों के समय आपतियों दर्ज करवानी थी, जो नियमानुसार निर्धारित अवधि में आपति दर्ज नहीं करवाई गई। उसके पश्चात 3सी के अन्तर्गत आपतियां आमंत्रित की गई एवं बाद सुनवाई 3डी की अधिसूचना जारी की गई। समस्त अधिसूचनाओं का प्रकाशन समाचार पत्र में भी करवाया गया। इसके पश्चात 3जी अवार्ड जारित किया गया। इस प्रकार जो उक्त खसरा के अवाप्तुसदा भूमि का प्रार्थीगण को मुआवजा अवार्ड विधि सम्मत प्रकिया का पालन करते हुए 3जी अवार्ड राजस्व रेकर्ड में अंकित इन्द्राज को मददेनजर रखते हुए जारी किया गया है, लिहाजा आलोच्य अवार्ड बहाल रखते हुए प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब में प्रकट किया कि अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754–K के किमी. 482.243 से किमी. 490.243 (सिणधरी) तक के निर्माण करने के लिए प्रार्थीगण की भूमि मौजा भाटा, तहसील सिणधरी में अवस्थित है। प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 05.06.2018 को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए का.आ. 3705 दिनांक 27.07.2018 को एवं धारा 3डी का.आ. 6169 दिनांक 11.12.2018 को

जिला कलक्टर
बालोतरा

जारी हुआ जारी हुआ। उक्त अधिसूचना को आमजन में प्रचार एवं प्रसार के लिए दो स्थानीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में प्रकाशित करवाया गया। इस अधिसूचना के प्रकाशन के बावजूद भी प्रार्थीगण द्वारा किसी तरह की भूमि किस्म/अन्य को लेकर कार्यालय में कोई आपति दर्ज नहीं करवाई गयी। धारा 3ए के प्रकाशन की दिनांक 27.07.2018 को प्रचलित अवाप्तसुदा भूमि की डीएलसी दर उप पंजीयक सिणधरी से प्राप्त कर, राजस्व रिकार्ड में दर्ज विवरण से तहसीलदार सिणधरी से जांच कर मुआवजा आवार्ड 29.03.2019 को पारित किया गया। प्रार्थीगण द्वारा निर्धारित अवधि में आमंत्रित आपतियों के समय आपतियों को दर्ज करवानी थी, जो नियमानुसार निर्धारित अवधि में आपति दर्ज नहीं करवाई गई। प्रार्थीगण के उक्त खसरा राजस्व ग्राम भाटा के आबादी क्षेत्र से 0–2 किलोमीटर से दूर परिधि में स्थित है, इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अधिनियम की धारा 3ए के वक्त उक्त खसरे की मौका स्थिति, किस्म, प्रचलित दर आदि के अनुसार मौजा भाटा के आबादी क्षेत्र से 2 किलोमीटर से दूर परिधि में स्थित मानते हुए प्रार्थी को मुअवाजा निर्धारण किया गया है, जो उचित है। प्रार्थीगण ने भूमि अवार्ड दिनांक 29.03.2019 के पारित होने के बाद अत्यधिक विलम्ब से वर्ष 2024 में हस्तगत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार जो उक्त खसरा के अवाप्तुसदा भूमि का प्रार्थीगण को विधि सम्मत प्रकिया का पालन करते हुए आलोच्य अवार्ड जारी किया गया है, लिहाजा आलोच्य अवार्ड बहाल रखते हुए प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावें।

6. अधिवक्ता प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण की निजी भूमि खसरा संख्या 729/3 में से (अवाप्तसुदा भूमि 0.4937) बीघा मौजा भाटा, तहसील सिणधरी में अवस्थित है। प्रार्थीगण की उक्त खसरान की अवाप्त भूमि राजस्व ग्राम भाटा की आबादी क्षेत्र की भूमि से 0 से 02 किलोमीटर के भीतर की परिधी में स्थित है, लेकिन सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी, सिणधरी ने प्रार्थीगण की आवाप्त भूमि को राजस्व ग्राम भाटा के आबादी क्षेत्र से 0 से 02 किलोमीटर की परिधी के बाहर स्थित मानकर मुआवजा निर्धारित किया गया है। जो 0–02 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर स्थित मानकर दूरी की डी एल सी दर 26.134/–रूपये प्रतिवर्ग मीटर के हिसाब से मौका स्थिति के विपरित जाकर गलत तरीके से मुआवजा राशि 5,26,434/–रूपये का निर्धारण किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है व अवाप्त भूमि का मुआवजा अधिनियम 2013 की धारा 26 के अनुसार निर्धारण नहीं किया गया। समक्ष प्राधिकारी, सिणधरी द्वारा तत्कालिन समय में प्रचलित डीएलसी दर के अनुसार भी मुआवजे का निर्धारण नहीं किया गया है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(7)(ए) की अनुपालना में धारा 3ए की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को भूमि के बाजार मूल्य के

जिला कलक्टर
बालोतरा

आधार पर मुआवजा नहीं दिया गया। धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 27.07.2018 को प्रचलित डीएलसी दर 0 से 02 किमी. तक डीएलसी दर सिंचित–63450 प्रतिबीघा व प्रतिवर्ग मीटर दर 39.1971 रू तथा 2 किमी. से ज्यादा दूरी की डीएलसी दर सिंचित–प्रतिबीघा दर 42300 व प्रतिवर्ग मीटर दर 26.134 रू थी। जब धारा 3ए दिनांक 27.07.2018 को प्रार्थीगण की भूमि अवाप्त की गई थी, तब प्रार्थीगण की अवाप्तसुदा कृषि भूमि जो मौजा भाटा के आबादी के क्षेत्र से 0 से 02 किलोमीटर के परिधी में स्थित थी, लेकिन सक्षम प्राधिकारी, सिणधरी ने प्रार्थीगण की अवाप्तसुदा भूमि को मौजा भाटा के आबादी क्षेत्र से 0 से 02 किलोमीटर के परिधी के बाहर स्थित मानते हुए जारी किया गया। इस संबंध में उप पंजीयक सिणधरी ने मौका स्थितिनुसार पटवारी से जांच करवाये जाने के उपरांत दिनांक 20.03.2023 को रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें पटवारी जूनामीठाखेड़ा द्वारा तैयार की गई दिनांक 17.03.2023 रिपोर्ट में प्रार्थीगण की अवाप्तसुदा भूमि का खसरा राजस्व ग्राम भाटा की आबादी भूमि से 0 से 2 किमी की परिधी मे आते है, बताया गया तथा वर्ष 2018 में उक्त खसरान सिंचित थे, होना बताया गया। इस प्रकार उप पंजीयक सिणधरी द्वारा तैयार रिपोर्ट दिनांक 20.03.2023 के अनुसार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की उक्त अवाप्तसुदा भूमि मौजा भाटा के आबादी क्षेत्र के परिधी में स्थित होना प्रतीत होता है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण के खसरे के समान स्थित अन्य खसरा की अवाप्त भूमि को मौजा भाटा की आबादी भूमि से 0 से 2 किलोमीटर तक की परिधि में स्थित होना मानकर आलोच्य अवार्ड 682 दिनांक 29.09.2019 जारी कर मुआवजा दिया गया। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी, सिणधरी द्वारा प्रार्थीगण की अवाप्तसुदा भूमि का मुआवजा मौजा भाटा के आबादी क्षेत्र के 0 से 02 परिधि में स्थित मानते हुए न देकर मौजा भाटा के आबादी क्षेत्र के 0 से 02 किमी की परिधी के बाहर स्थित मानते हुए उक्त आलोच्य अवार्ड जारी किया गया है, जो विधिसम्मत न होकर खारिज योग्य है।

7. अधिवक्ता प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस में यह भी कथन किया कि भू–स्वामियों (प्रार्थी) की ओर से अप्रार्थी संख्या 1 सक्षम प्राधिकारी सिणधरी के समक्ष गलत मुआवजा जारी करने के संबंध में आपति आवदेन पेश कर मुआवजा निर्धारण में हुई भारी विसंगतियों को दुरस्त कर प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि 0 से 2 किलोमीटर तक के परिधि में ही स्थित होने के कारण डी. एल.सी दर 39.1971/– रूपये प्रतिवर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा दिये जाने के लिए निवेदन किया गया, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 सक्षम प्राधिकारी सिणधरी की ओर से अवाप्त भूमि के मुआवजे निर्धारण में विसंगति होना मानकर उसे दूर कर डी एल सी दर 39.1971/– रूपये प्रतिवर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा देने का समय समय पर आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन आज दिन तक आपति आवेदन में अंकित तथ्यों की कोई जांच नहीं की गई और ना ही प्रार्थी की अवाप्त भूमि का डीएलसी दर 39.1971/– रूपये प्रतिवर्ग मीटर के अनुसार कोई मुआवजा का निर्धारण नहीं गया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण की अवाप्तसुदा भूमि का मौजा भाटा आबादी क्षेत्र के 2 किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित होना मानकर आलोच्य अवार्ड

जिला कलक्टर,
बालोतरा

जारी किया गया। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार फरमाया जाकर भूमि अवाप्ति अधिकारी, सिणधरी द्वारा प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा मौजा भाटा के आबादी क्षेत्र के 0 से 2 किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित मानकर जारी किया गया, को निरस्त फरमाया जाकर अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा मौजा भाटा के आबादी क्षेत्र के 0 से 2 किलोमीटर की परिधि में स्थित मानकर पारित करने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी, सिणधरी को निर्देश फरमाया जावे।

8. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस में कथन किया कि अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754–K के किमी. 482.243 से किमी. 490.243 (सिणधरी) तक के निर्माण करने के लिए प्रार्थीगण की भूमि मौजा भाटा, तहसील सिणधरी में अवस्थित है। प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 05.06.2018 को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754–K के निर्माण हेतु खसरे वार भूमि अवाप्ति का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसकी जांच राजस्व रिकार्ड से भूमिधारी तहसीलदार सिणधरी द्वारा कर अवाप्ति प्रस्ताव को भारत के राजपत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए का.आ. 3705 दिनांक 27.07.2018 को जारी हुआ। साथ ही आमजन को सूचना एवं जानकारी के लिए इस अधिसूचना को दो स्थानीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 11.08.2018 एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 10.08.2018 को प्रकाशित किया गया तथा अधिनियम 1956 की धारा 3डी का.आ. 6169 दिनांक 11.12.2018 को जारी हुआ। धारा 3डी की अधिसूचना को आमजन में प्रचार एवं प्रसार के लिए दो स्थानीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 06.01.2019 को प्रकाशित किया गया। भारत के राजपत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग इस अधिसूचना के प्रकाशन के बावजूद भी प्रार्थीगण द्वारा नियत समय में किसी तरह की भूमि किस्म/अन्य को लेकर कार्यालय में कोई आपति दर्ज नहीं करवाई गयी। धारा 3ए के प्रकाशन की दिनांक 27.07.2018 को प्रचलित अवाप्तसुदा भूमि की डीएलसी दर उप पंजीयक सिणधरी से प्राप्त कर, राजस्व रिकार्ड में दर्ज विवरण से तहसीलदार सिणधरी से जांच कर मुआवजा आवार्ड 29.03.2019 को पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण में यह देखा जाना है कि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 27.07.2018 को ग्राम भाटा की आबादी भूमि से अवाप्त भूमि कितनी दूरी पर स्थित थी व उसकी क्या दर प्रचलित थी ? इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी को उप पंजीयक सिणधरी के जरिये पटवारी जूना मीठा खेड़ा से ग्राम भाटा के अवाप्त खसरों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें अवाप्त भूमि के उक्त खसरा ग्राम भाटा की आबादी भूमि के 02 किलोमीटर की परिधि में स्थित नहीं होना बताया गया। सक्षम प्राधिकारी सिणधरी ने अवाप्त भूमि की

जिला कलक्टर
बालोतरा

प्रकृति, किस्म, ग्राम भाटा की आबादी भूमि से दूरी आदि की राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से जांच करवाये जाने के उपरांत ही उक्त आलोच्य अवार्ड जारी किया गया है, इसलिए प्रार्थीगण अवाप्त भूमि का मुआवजा ग्राम भाटा की आबादी भूमि से 02 किलोमीटर के परिधि में स्थित भूमि की प्रचलित दर से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार जो उक्त खसरा के अवाप्तुसदा भूमि का प्रार्थी को मुआवजा अवार्ड विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए 3जी अवार्ड राजस्व रेकर्ड में अंकित इन्द्राज को मददेनजर रखते हुए तथा भू हितधारियों की ओर से निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत आपतियों का निस्तारण करते हुए जारी किया गया है, लिहाजा आलोच्य अवार्ड बहाल रखते हुए प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावें।

9. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया तथा मनन किया गया, जिससे यह पाया जाता है कि सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754–K के किमी. 482.243 से किमी. 490.243 (सिणधरी) तक के निर्माण (चौड़करण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) हेतु प्रार्थीगण की निजी व कब्जे की भूमि मौजा भाटा, तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 729/3 में से (अवाप्तसुदा भूमि 0.4937) बीघा भूमि अवाप्त की गई थी। **राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3a** के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का. आ. 2304(अ) दिनांक 05.06.2018 जारी कर प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के लिए उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया है। उक्त निर्माण के अन्तर्गत लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3A की उपधारा (1) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा का.आ. 3705(अ) दिनांक 27.07.2018 को प्रकाशित की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) के प्रावधान निम्न प्रकार है:–

3A. Power to acyuire land, etc-

(1) Where the Central Government is satisfied that for a public purpose any land is required for the building, maintenance, management or operation of a national highway or part thereof, it may, by notification in the Offical Gazette, declare its intention ot acquire such land.
(2) Every notification under sub-section (1) shall gie a brief description of the land.
(3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, on of which will be in a vernacular language.

जिला कलक्टर
बालोतरा

उक्त खसरान की भूमि अवाप्त हेतु 3ए की अधिसूचना का.आ. 3705(अ) दिनांक 27.07.2018 को जारी की गई, जिसका जन साधारण को सूचित करने हेतु समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 11.08.2018 व दैनिक भास्कर में दिनांक 10.08.2018 को प्रकाशित किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का प्रकाशन होने पर धारा 3सी के तहत 21 दिन के अन्दर कोई भी भू–हितधारी अपनी आपतियां सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है तथा सक्षम प्राधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आपतियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(सी) के प्रावधान निम्न प्रकार है:–

3C. Hearing of objection-

(1) Any person interested in the land may, within twenty-one days from the date of publication of the notification under subsection(1) of section 3A object to the use of the land for the purpose of purposes mentioned in that sub section.

(2) Every objection under sub section 1 shall be mde to the competent authority in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being haard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objecxtions and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, ither allow or disallow the objections.

(3) Any order made by the competent authority under sub-section (2) shall be final.

उक्त अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के पश्चात जिन हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा धारा 3सी के अन्तर्गत आपतियां प्रस्तुत की गई, उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपतियों का विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया गया। लेकिन प्रार्थी द्वारा धारा 3ए की अधिसूचना की कार्यवाही के संबंध में कोई आपति मय दस्तावेज निर्धारित समयावधि में सक्षम प्राधिकरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(डी) की उपधारा (1) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा का.आ. 6169(अ) दिनांक 11.12.2018 को प्रकाशित की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(डी) के प्रावधान निम्न प्रकार है:–

जिला कलक्टर
बालोतरा

3D. Declaration of acquistion-

(1) Where no objection under sub section(1) of section 3C has been made to the competent authority within the period specified therein or where the competent authority has disallowed the objection under sub section (2) of that section, the competent authority shall, as soon as may be, submit a report accordingly to the Central Government shall declare, by nitification in the official Gazette, that the land should be acquired for the purposes mentioned in sub-section(1) of section 3A

(2) On the publication of 3D Nofification under sub-section(1), the land shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

(3) Where in respect of any land, a nofification has been published under sub-section(1) of section 3A for its acquisition but no declaration under sub-section (1) has been published within a period of one year from the date of publication of that notification, the said notification shall cease to have any effect: Provided that in compurting the said period of one year, the period or periods during which any action or proceedings to be taken in pursuance of the notification issued under sub-section (1) of section 3A is stayed by an order of a court shall be excluded.

(4) A declaration made by the Central Government under section 3D fo sub-section (1) shall not be called in question in any court or by any other authority.

उक्त खसरान की भूमि अवाप्त हेतु 3D की अधिसूचना का.आ. 6169(अ) दिनांक 11.12.2018 को जारी की गई, जिसका जन साधारण को सूचित करने हेतु समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 06.01.2019 को प्रकाशित किया गया।

उक्त खसरान के अवाप्तसुदा भूमि का आलोच्य 3जी अवार्ड सक्षम प्राधिकारी सिणधरी के आदेश कमांक 682 दिनांक 29.03.2019 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) सिणधरी द्वारा प्रार्थीगण को जारी किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी (5) व (7) के प्रावधान निम्न प्रकार है:–

3G. Determination of amount payable as compensation-

(5) If the amount determined by the competent authority under sub-section (1) or sub-section (2) is not acceptable to any party, the said amount shall be determined by an arbitrator appointed by the Central Government on the application of any party.

(7) The competent authority or the arbitrator shall, while determining the amount under sub-section (1) or sub-section (5), as the case may be, have regard to-

(a) the market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A;

(b) the damage, if any, caused to the person interested at the time of taking possession of the land by reason of the separation of such land from other land;

(c) the loss, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land by reason of the acquisition affecting in any manner his other immovable property or his earnings detrimentally;

(d) if as a result of the acquisition of the land the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change.

जिला कलक्टर
बालोतरा

10. अधिवक्ता प्रार्थीगण की मुख्य आपति यह है कि प्रार्थीगण के उक्त खसरान का भूमि अवाप्ति अधिकारी, सिणधरी द्वारा प्रार्थीगण को उक्त खसरे की भूमि मौजा भाटा के आबादी क्षेत्र के 0–2 किमी तक के परिधि में स्थित होने का अवार्ड जारी न करके, आबादी क्षेत्र के 0–2 किमी. के परिधि के बाहर स्थित मानकर आलोच्य अवार्ड दिनांक 29.03.2019 को पारित किया गया। उक्त खसरे की भूमि मौजा भाटा के आबादी क्षेत्र के 02 किमी की परिधि के बाहर मानकर पारित किया गया आलोच्य अवार्ड को निरस्त कर राजस्व ग्राम भाटा की आबादी क्षेत्र के 0–02 किमी की परिधि में स्थित मानकर ब्याज सहित संशोधित अवार्ड पारित किया जाए। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त खसरान के भूमि आलोच्य अवार्ड मौजा भाटा के आबादी क्षेत्र के परिधि के बाहर मानते हुए सक्षम प्राधिकारी, सिणधरी द्वारा पारित किया गया, लेकिन जब आलोच्य भूमि की अवाप्ति हेतु 3ए की अधिसूचना का.आ. 3705(अ) दिनांक 27.07.2018 व 3डी की अधिसूचना का.आ. 6169(अ) दिनांक 11.12.2018 को जारी हुई, तब प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि के उक्त खसरान राजस्व ग्राम भाटा के आबादी क्षेत्र के 0–02 किमी की परिधि में स्थित थी। इस संबंध में सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन तथा अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी के बहस उपरांत यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की उक्त अवाप्त भूमि 3ए की अधिसूचना का.आ. 3705(अ) दिनांक 27.07.2018 को तथा 3डी की अधिसूचना का.आ. 6169(अ) दिनांक 11.12.2018 को जारी कर उक्त अवाप्त भूमि का अधिग्रहण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। सम्पूर्ण प्रक्रिया **MORTH (A Manual of Guidelines on land Acquisition for National Highways under The National Highways Act,1956)** की पालना करते हुए उक्त अवार्ड जारी किया गया है तथा समय समय पर अखबार में साया करवाया गया। प्रार्थी द्वारा आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र दिनांक 05.01.2024 को इस न्यायालय में पेश किया गया है तथा समक्ष प्राधिकारी, सिणधरी द्वारा उक्त आलोच्य अवार्ड दिनांक 29.03.2019 को जारी किया गया। आर्बिट्रेशन परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुसार प्रार्थना पत्र पेश करने की अवधि 3 वर्ष निर्धारित की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधिनिमय 1963 के अनुसार समय सीमा के अन्दर पेश नहीं किया गया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

11. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी, सिणधरी द्वारा पारित आलोच्य अवार्ड कमांक 682 दिनांक 29.03.2019 को बहाल रखा जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे।। पत्रावली फैसल शुमार हाकर नंबर से कम हो।

12. निर्णय आज दिनांक 11.03.2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
एकल माध्यस्थ
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना
जिला कलक्टर, बालोतरा।